निगरानी / टीए/2979/ 2001/अजमेर
किशोर सिंह बनाम सरदारा जरिये का.मु. व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
19-5-25	**एकल–पीठ** **श्री मदनल लाल नेहरा, सदस्य** **उपस्थित :** श्री दिलीप सिंह राठौड, अभिभाषक प्रार्थी । श्री पुष्पेन्द्र सिंह नरूका, अभिभाषक अप्रार्थी **आदेश** 1. हस्तगत् निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत न्यायालय उपखंड अधिकारी अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–3–01 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2. निगरानी के संक्षिप्ततः तथ्य इस प्रकार है कि वादी/अप्रार्थी सं. सरदारा ने एक राजस्व वाद अंतर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी अजमेर के समक्ष बाबत् विवादित आराजी पेश किया। दौराने वाद प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत किया। न्यायालय उपखंड अधिकारी अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 2–3–01 द्वारा प्रार्थी का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह निगरानी मंडल में प्रस्तुत की गई है। 3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने पुनरीक्षण याचिका में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि विवादित आराजी का पूर्व खातेदार हालू पुत्र गोमा था जिसकी मृत्यु हो चुकी है। वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से इसमें प्रार्थीगण का भी हिस्सा निहित है। प्रार्थीगण की दादी हीरी का स्वर्गवास होने के पश्चात् हालू पुत्र गोमा का जो भी हिस्सा हीरी में निहित था वह भी प्रार्थीगण के हिस्से अनुसार उनमें निहित हो चुका है। प्रार्थीगण के दादा हालू की चल व अचल सम्पत्ति में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधानों अनुसार प्रार्थीगण का हक व हिस्सा है। जिसको प्रार्थीगण के पिता अकेले को बेचने का अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण के पिता द्वारा प्रार्थीगण एवं नाबालिग प्रार्थीगण के हिस्से की समुचित रक्षा नहीं की जा रही है। प्रार्थीगण के हक हिस्से की भूमि अन्य व्यक्तियों को विक्रय करने पर उतारू है। प्रतिवादी सं. 2 व 3 ने वाद में वर्णित भूमि में से प्रार्थी को अपना हिस्सा बेच दिया है तथा क्रय की गई आराजी पर उसका कब्जा व काश्त चला आ रहा है। यदि प्रार्थीगण को इस प्रकरण में बिना सुने व बिना पक्षकार बनाये ही वाद का निर्णय कर दिया जाता है तो प्रार्थीगण अपने अधिकारों की सुरक्षा नहीं कर पायेंगे। प्रार्थीगण वाद में हितबद्ध एवं आवश्यक पक्षकार है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों को दरकिनार करते हुये प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र निरस्त करने में विधिक त्रुटि की है। अतः निगरानी स्वीकार की जावे। 4– उपरोक्त तर्को का विरोध करते हुये विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने बहस में कहा कि प्रार्थीगण उनके पिता श्रवण सिंह के जीवनकाल में मृतक हीरी के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	वारिस नहीं है। हीरी की पुत्रियां प्रेमी व पुष्पा एवं पुत्र श्रवण प्रकरण में पक्षकार है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् पक्षकार बनने खारिज किया है जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से निगरानी खारिज की जावे। 5— उभय पक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि दौराने वाद प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सिविल प्रकिया संहिता उपखंड अधिकारी अजमेर ने अपने आदेश दिनांक 2—3—01 से खारिज किया है जिसके विरूद्ध यह निगरानी याचिका प्रस्तुत की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज करने का मुख्य आधार यह लिया है कि वादीयां हीरी की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 22 नियम सपठित धारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी दिनांक 22—7—93 को प्रस्तुत होने पर मृतक हीरी के वारिस श्रीमति प्रेमी, श्रीमती पुष्पा एवं श्री श्रवण सिंह को प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण बताते हुये हीरी का नाम तर्क करने का निवेदन किया जो उपखंड अधिकारी अजमेर ने आदेश दिनांक 18—4—95 से स्वीकार कर मृतक हीरी का नाम तर्क किया था। प्रकरण में मृतक हीरी के कायम मुकाम की कार्यवाहीं पूर्व में होना अंकित करते हुये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र बाबत् पक्षकार बनने खारिज किया है। प्रार्थीगण के पिता श्रवणसिंह का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने से प्रार्थीगण बतौर कायम मुकाम उनके पिता श्रवणसिंह के जीवित रहते वाद में पक्षकार बनने की पात्रता नहीं रखते। ऐसी स्थिति में उपखंड अधिकारी ने प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सीपीसी खारिज किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी को वादग्रस्त भूमि का आवश्यक व हितबद्ध पक्षकार नहीं होना मानते हुये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया है। हस्तगत पुनरीक्षण याचिका राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी है, जिसके अनुसार निगरानी का क्षेत्र अत्यन्त सीमित है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश में विधि अथवा तथ्य सम्बन्धी ऐसी कोई तात्विक त्रुटि कारित नहीं की गई है जिसके आधार पर निगरानी के माध्यम से आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके। अतः हस्तगत निगरानी सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है। 6— परिणामतः हस्तगत निगरानी एतद्द्वारा खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मय आदेश प्रति लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार नबंर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। **(मदनलाल नेहरा)** **सदस्य**	